बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–05/स्था0(डी0टी0ओ0)–30/2013........................../परि0 पटना, दिनांक....................

परिवहन विभाग,बिहार,पटना की अधिसूचना संख्या–4708 दिनांक–21.09.2016 द्वारा श्री आलोक कुमार, बि0प्र0से0,वरीय उप समाहर्त्ता, लखीसराय को जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय का अतिरिक्त प्रभार सुपुर्द किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा श्री कुमार का अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक–447 दिनांक–20.08.2016 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय का प्रभार सौंपने के लिए श्री राजेश कुमार, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी लखीसराय सहित कुल 3 (तीन) पदाधिकारियों की सूची उपलब्ध करायी गई है।

जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा उपलब्ध करायी गई 3 पदाधिकारियों की सूची में से श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा–3(तीन) में निहित प्रावधानों के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने कार्यो के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, लखीसराय के कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

निबंधित/ई–मेल ज्ञापांक – 05/स्था0(डी0टी0ओ0)–30/2013 /परि0 पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी,ई–गजट कोषांग,वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार पटना/जिला पदाधिकारी, लखीसराय /संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर/ श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय/मोटरयान निरीक्षक, लखीसराय/माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक– **05/स्था0(डी0टी0ओ0)–30/2013**......5918......**/परि0** पटना दिनांक 30/9/16

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, कम्प्युटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर लोड करने हेतु प्रेषित करते हुए निदेशित किया जाता है कि अधिसूचना की सी0डी0 तैयार कर निर्गम शाखा को शीघ्र उपलब्ध करायें।

विशेष सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना